संख्याः 1141 भू0कय/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः23 नवम्बर, 2005

विषयः मै0 उत्तरांचल बायोटेक लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील गदरपुर के ग्राम जयनगर में कुल 0.576 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–785/सात–स0भू0अ0/2005 दिनांक 20 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, मै0 उत्तरांचल बायोटेक लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम जयनगर में कुल 0.576 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

... (2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- आवेदक स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तरांचल शासन।
4- श्री एस0पी0सिंघला, मैनेजिंग डायरेक्टर, उत्तरांचल बायोटेक लि0 स्टेट रोल्स कारपोरेशन, नियर यूको बैंक , काशीपुर बाईपास, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।